

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 18th November, 2014]

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 18 नवम्बर, 2014
कात्तिक 27, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं० 100/रा०स०-हरियाणा/2/2014 (1) :—यत्: हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री बीरेन्द्र सिंह का स्थान, जिनकी पदावधि 1 अगस्त, 2016 को सम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व त्याग पत्र देने के कारण 28 अगस्त, 2014 को रिक्त हो गया है; और

यत्: इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है :

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—

(अ) हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 8 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें :

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

- | | |
|---|-------------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख- | 25 नवम्बर, 2014 (मंगलवार) |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख- | 26 नवम्बर, 2014 (बुधवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख- | 28 नवम्बर, 2014 (शुक्रवार) |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | 5 दिसम्बर, 2014 (शुक्रवार) और |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा | 8 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) |

नियत करता है; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

के० अजय कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated : 18th November, 2014
Kartika 27. 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-HR/4/2014 (1).— WHEREAS, the seat of Shri Birender Singh in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana, has become vacant on 28th August, 2014 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including the 1st August, 2016; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

- (A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana to elect, before 8th December, 2014 (Monday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) appoints, with respect to the said election;
- (a) the 25th November, 2014 (Tuesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 26th November, 2014 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 28th November, 2014 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 5th December, 2014 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 8th December, 2014 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

K. AJAYA KUMAR,
Principal Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

B10
(0352) 26Pदिनांक : 18 नवम्बर, 2014
कार्तिक 27, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं० 100/रा०स०-हरियाणा/5/2014 (1) :- यत्: हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री रणबीर सिंह प्रजापति का स्थान, जिनकी पदावधि 1 अगस्त, 2016 को सम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व त्याग पत्र देने के कारण 1 नवम्बर, 2014 को रिक्त हो गया है; और

यत्: इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-

(अ) हरियाणा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 8 दिसम्बर, 2014 (सोमवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें :

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख-	25 नवम्बर, 2014 (मंगलवार)
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख-	26 नवम्बर, 2014 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख-	28 नवम्बर, 2014 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	5 दिसम्बर, 2014 (शुक्रवार) और
(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	8 दिसम्बर, 2014 (सोमवार)

नियत करता है; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

के० अजय कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated : 18th November, 2014
Kartika 27, 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-HR/5/2014 (1).— WHEREAS, the seat of Shri Ranbir Singh Parajapati in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Haryana, has become vacant on 1st November, 2014 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including the 1st August, 2016; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

- (A) calls upon the electors/members of the Legislative Assembly of the State of Haryana to elect, before 8th December, 2014 (Monday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) appoints, with respect to the said election;
- (a) the 25th November, 2014 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 26th November, 2014 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 28th November, 2014 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 5th December, 2014 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 8th December, 2014 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

K. AJAYA KUMAR,
Principal Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 18 नवम्बर, 2014
कार्तिक 27, 1936 (सक)

अधिसूचना

सं० 100/रा०स०-हरियाणा/4-5/2014 (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 18 नवम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचनों के संबंध में :-

- (I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
प्रमुख सचिव, हरियाणा विधान सभा	श्री राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव, हरियाणा विधान सभा

आदेश से.

के० अजय कुमार,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

Dated : 18th November, 2014
Kartika 27, 1936 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 100/CS-HR/4-5/2014 (2).— In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Haryana, hereby—

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions; in respect of the bye-elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 18th November, 2014 :—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Principal Secretary, Haryana Legislative Assembly	Shri Rajinder Kumar Nandal, Secretary, Haryana Legislative Assembly

By order,

K. AJAYA KUMAR,
Principal Secretary to the
Election Commission of India.